न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 24/2020 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री इसरायल उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री लल्लु निवासी पुराना बस स्टैण्ड के पास, गढी मोड, मण्डावर मैसर्सः—लबान डेयरी प्रा0 लि0 पुराना बस स्टैण्ड के पास, गढी मोड, मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा विक्रेता।
2. श्री जुबेर खान पुत्र इसरायल निवासी पुराना बस स्टैण्ड के पास, गढी मोड, मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा। मैसर्स लबान डेयरी प्रा0 लि0 पुराना बस स्टैण्ड के पास, गढी मोड, मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा मालिक।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 08.06.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्यरत थे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये थे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 12.12.2019 को दोपहर 02:10 बजे मैसर्सः— लबान डेयरी प्रा0 लि0 पुराना बस स्टैण्ड के पास, गढी मोड, मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय डेयरी पर विक्रेता श्री इसरायल उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री लल्लु निवासी पुराना बस स्टैण्ड के पास, गढी मोड, मण्डावर उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त डेयरी का विक्रेता होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की निर्माण ईकाई पर एक प्लास्टिक के बक्से में करीब 100 किग्रा वजनी पनीर रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर [illegible] एक साफ सुखी खाली स्टील की ट्रे में नमूने की जांच हेतु खरीदा। जिसकी कीमत 220 [illegible] देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये [illegible] एक किलो पनीर को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर—बराबर [illegible] प्रत्येक बोतल में 20—20 बून्द फार्मलिन की डालकर प्रत्येक बोतल को [illegible] से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर [illegible] लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर एक खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलों पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:13 IST
Reason: SelfAttested

डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.– 2330 गोंद से उपर से नीचे पूरे राउंड में चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से उपर नीचे दोनो साइडो से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) के **हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द** बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा **अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द** रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व **गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ.** व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री **महादेव प्रसाद सैनी च0श्र0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 13.12.2019 को खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर** में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.12.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने **की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर** कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.12.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ पनीर के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /999/एक्ट/2019/46 दिनांक 14.01.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./999/एक्ट/2019/46 दिनांक 14.01.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर के **नमूने मे Butyro-refrecometer** की रीडिंग 44.8 पाई गई है। जो कि 40.0 से 44.0 के बीच होनी चाहिये थी। उक्त नमूने में फैट केवल मात्र 20.24 प्रतिशत ही पाया गया है। जो कि कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिये था। उक्त कारणों से खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है एवं सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के **दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।**

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के [illegible] लिया गया है इसमें फैट की मात्रा 20.24 प्रतिशत आई है। पनीर बनाने की प्रक्रिया [illegible] गर्म करने से) में फैट भी गर्म पानी के साथ निकल सकती है। बी0 आर0 [illegible] बढ सकती है। हमारे द्वारा न तो पनीर में कोई फैट मिलायी जाती है और ना ही नि[illegible] जाती है। मानवीय गलती से फैट कम या ज्यादा हो सकती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में मानवीय गलती को ध्यान में रखते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramkhilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 999 / एक्ट / 2019 / 46 दिनांक 14.01.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने पर अप्रार्थी अभियुक्त श्री इसरायल पुत्र श्री लल्लु एफबीओ मैसर्सः– लबान डेयरी प्रा0 लि0 पुराना बस स्टैण्ड के पास, गढी मोड, मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा एवं जुबेर खान पुत्र श्री इसरायल एफबीओ मैसर्सः– लबान डेयरी प्रा0 लि0 पुराना बस स्टैण्ड के पास, गढी मोड, मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा पर 11000 / –(अक्षरे ग्यारह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 08.6.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA** /   दिनांकः– 08.06.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री इसरायल उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री लल्लु निवासी पुराना बस स्टैण्ड के पास, गढी मोड, मण्डावर मैसर्सः–लबान डेयरी प्रा0 लि0 पुराना बस स्टैण्ड के पास, गढी मोड, मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा विक्रेता।
4. श्री जुबेर खान पुत्र इसरायल निवासी पुराना बस स्टैण्ड के पास, गढी मोड, मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा। मैसर्स लबान डेयरी प्रा0 लि0 पुराना बस स्टैण्ड के पास, गढी मोड, मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा मालिक।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:13 IST
Reason: SelfAttested